



NCRES

NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.&I.T.F.
Central Office : 464-AB, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)
Website : www.ncresindia.org | E-mail : rpsinghncr@gmail.com

R. P. Singh

Gen. Secretary
&
Treasurer-NFIR

Resi. 273-A, Nyay Vihar Colony
Sulem Sarai, Prayagraj - 211011
P&T (O) 0532-2560480, (R) 2972645

No. 146 /NCRES/71/76/26

Date : 25.7.2026

श्रीमान महाप्रबंधक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :- नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में मिनिस्ट्रीयल कैंडर को मर्ज किया जाना।
संदर्भ :- नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के कार्मिक विभाग का पत्र सं० 797-E/NCR/Policy/Merger of Ministerial Staff दिनांक 10.7.2026

महोदय,

दिनांक 1.4.2004 को नया जोन नार्थ सेन्ट्रल रेलवे बनने के बाद से जोन में हेडक्वाटर व तीनों मण्डलो - प्रयागराज मण्डल, झांसी मण्डल और आगरा मण्डल में मिनिस्ट्रीयल कैंडर की सीनियारिटी सभी विभागों में अलग-अलग है और सभी विभागों में कार्य सुचारु रूप से चल रहा है, लेकिन मान्यता प्राप्त यूनियन NCRES से वार्ता किये वेगैर प्रधान कार्यालय के कार्मिक विभाग ने मिनिस्ट्रीयल कैंडर को दिनांक 1.8.2026 से मर्ज करने का आदेश दिनांक 10.7.2026 को जारी कर दिया जो उचित नहीं है और इसके कारण हेडक्वाटर, प्रयागराज मण्डल, झांसी मण्डल और आगरा मण्डल के कर्मचारियों में बहुत असंतोष है।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के अलावा अन्य जोनों व मण्डलों में भी मिनिस्ट्रीयल कैंडर की सीनियारिटी विकेन्द्रीयकृत (Decentralise) है, इससे स्पष्ट होता है कि मिनिस्ट्रीयल कैंडर की सीनियारिटी केन्द्रीयकृत (Centralise) करने से कर्मचारियों के वरिष्ठता, प्रमोशन, ट्रांसफर आदि की बहुत सारी समस्याएँ पैदा होंगी।

इसपर भी गौर किया जाय कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में हेडक्वाटर व तीनों मण्डलों में मिनिस्ट्रीयल कैंडर की सीनियारिटी Decentralise है और सभी प्रशासनिक कार्य पिछले 22-23 वर्षों से सुचारु रूप से चल रहा है। यदि इस प्रणाली में कोई बदलाव करना ही है, तो मान्यता प्राप्त यूनियन से वार्ता अवश्य किया जाना चाहिये, इसी कारण समस्त मिनिस्ट्रीयल कैंडर में बहुत असंतोष है।

NCRES का अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों पर गम्भीरता से विचार किया जाय और प्रधान कार्यालय के कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र सं० 797-E/NCR/Policy/Merger of Ministerial Staff दिनांक 10.7.2026 को निरस्त करने और इस सम्बन्ध में निर्णय लेने से पहले मान्यता प्राप्त यूनियन से वार्ता करने के लिये उचित निर्देश जारी करने की कृपा करें।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपि :- प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज